सं. 006/एमएससी/038
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक : 21.01.2022

कार्यालय आदेश संख्या 04/01/22

विषय: उन मामलों में आयोग की सलाह लेने की प्रक्रिया जहाँ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अभियोजन स्वीकृति की सिफारिश की गई है।

संदर्भ :-

(i) केन्द्रीय सतर्कता आयोग का दिनांक 26.02.1999 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 98/विविध/1

(ii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग का दिनांक 08.08.2000 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 99/वीजीएल/54

(iii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग का दिनांक 05.07.2001 का कार्यालय आदेश संख्या 003/वीजीएल/1 (भाग)

(iv) केन्द्रीय सतर्कता आयोग का दिनांक 26.03.2012 का फा.सं. 006/एमएससी/38 पर कार्यालय आदेश संख्या 05/03/12

(v) केन्द्रीय सतर्कता आयोग का दिनांक 02.09.2014 का फा.सं. 006/एमएससी/38/ 259085 पर कार्यालय आदेश संख्या 05/09/14

(vi) फा.सं. 006/एमएससी/38(भाग) / 429692 पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग का दिनांक 21.08.2019 का कार्यालय आदेश संख्या 06/08/19

(vii) फा.सं. 006/एमएससी/038 (भाग)445413 पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग का दिनांक 15.01.2020 का कार्यालय आदेश संख्या 01/01/2020

(viii) फा.सं. 006/एमएससी/038 (भाग) 489810 पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग का दिनांक 19.08.2021 का कार्यालय आदेश संख्या 14/08/21

(ix) फा.सं. 006/एमएससी/038/4986385 पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग का दिनांक 10.11.2021 का परिशिष्ट दिनांक 10.11.2021

(x) फा.सं 006/एमएससी/038 पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग का दिनांक 09.01.2022 का कार्यालय आदेश संख्या 02/ 01/22

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 06.01.2022 के अपने कार्यालय आदेश संख्या 02/01/22 द्वारा तीन करोड़ रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडीएस) [पदेन अधिकारियों/भूतपूर्व-डब्ल्यूटीडीएस सहित) के सभी स्तरों के अधिकारियों की भूमिका की जाँच के लिए बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ियों के लिए सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफएफ) का कार्यक्षेत्र विस्तारित किया था।

2. आयोग के दिनांक 06.01.2022 के कार्यालय आदेश को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने यह निदेश दिया है कि संबंधित संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन सभी मामलों में एबीबीएफएफ की सलाह भी प्राप्त की जाए, जो एबीबीएफएफ की जाँच के विस्तारित दायरे के अंतर्गत आते हैं।

3. आयोग ने आगे यह निदेश दिया कि सभी पात्र मामलों के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आयोग द्वारा परिचालित एसओपी के अनुसार एबीबीएफएफ की सिफारिशें/सलाह प्राप्त की गई है।

4. इसके अतिरिक्त, किसी भी अभियोजन स्वीकृति के मामले में सलाह के लिए आयोग से संपर्क करते समय मुख्य सतर्कता अधिकारी निम्नलिखित सूचना भी उपलब्ध करवाएँ:-

(i) क्या मामला एबीबीएफएफ को संदर्भित किए जाने के लिए योग्य था;

(ii) यदि हाँ, तो एबीबीएफएफ को भेजे गए संदर्भ की तारीख का उल्लेख किया जाए;

(iii) एबीबीएफएफ द्वारा दी गई सलाह / सिफारिशों का उल्लेख किया जाए।

5. उपर्युक्त निदेशों को भविष्य में सख्ती से अनुपालन के लिए नोट किया जाए।

ह०/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी।